पुस्तकालय

(2)
3252
26/2/13

सत्यमेव जयते

असंशोधित

21 FEB 2013

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग–1 कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

प्रतिवेदन शाखा
पै०स०प्रे०सं० 143 तिथि 25-2-13

बि०स०मु०(एल०ए०वादवृत्त).183—मो०एल०—1,500

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी,नेता विरोधी दलः- महोदय, मैंने अपने पत्र में निगरानी विभाग का प्रतिवेदन भी संलग्न किया है, अब उस बाबत अगर मंत्री जी को अब तक कोई उत्तर नहीं आया है, तो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि एक महीने में हम जो है उत्तर प्राप्त करके सारी कार्रवाई करके हम बता देंगे, तो जो कार्रवाई हो जायेगी,उससे आप विधान सभा, सदन को अवगत करायेंगे।

श्री रमई राम,मंत्रीः- निश्चित रुप से करायेंगे।

अध्यक्षः- ठीक है।

तारांकित प्रश्न संख्याः-२०५ (मा०सदस्य श्री संजय कुमार)

श्री श्याम रजक,मंत्रीः- महोदय, खण्ड १:- उत्तर आंशिक रुप से स्वीकारात्मक है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी वैशाली से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार माननीय विधायक का पत्रांक-५६६ दिनांक १४.११.२०१२ के द्वारा वांछित सूचना जिला आपूर्ति कार्यालय,वैशाली के पत्रांक-१७८० दिनांक १.१२.२०१२ को माननीय विधायक द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है। जहाँ तक पत्रांक-५०६ दिनांक ४.६.१२ का प्रश्न है,उनके कार्यालय को उपलब्ध नहीं हुआ है। माननीय विधायक का पत्रांक-६०२ दिनांक २८.१२.१२ को जो मुख्यमंत्री शताब्दी चावल उत्सव २०११ के अवसर पर अनाज वितरण से संबंधित है, के संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी, महुआ एवं महनार से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार मुख्यमंत्री शताब्दी चावल उत्सव २०११ के अवसर पर माननीय विधायक के निर्वाचन क्षेत्र राजापाकर अन्तर्गत प्रखंड राजापाकर, देसरी में कुल ४८२४२ बी०पी०एल० परिवारों को २० किलोग्राम प्रति परिवार की दर से ९६४८ क्विटल चावल का वितरण किया गया है।

खण्ड २:- उत्तर अस्वीकारात्मक है।

खण्ड ३:- उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

श्री संजय कुमारः- अध्यक्ष महोदय, मैंने दो-दो बार विभाग को पत्र लिखा लेकिन उसका उत्तर अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है।

अध्यक्षः- ठीक है।

तारांकित प्रश्न संख्याः- २०६ (मा०सदस्य श्री संजय सिंह टाइगर)

श्री श्याम रजक, मंत्रीः- अध्यक्ष महोदय, खण्ड १:- उत्तर अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि अन्त्योदय,बी०पी०एल०,ए०पी०एल० एवं अन्नपूर्णा के कार्डधारियों को भारतीय खाद्य निगम से मुह्हैया कराया गया खाद्यान बिना किसी देरी के मुह्हैया कराया जाता है। वैसी ही परिस्थिति में खाद्यान उपलब्ध कराने में यदा-कदा विलंब होता है,जब भारतीय खाद्य निगम द्वारा विभिन्न कारणों यथा भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में खाद्यान उपलब्ध नहीं रहने,खाद्यान का रेलवे रैक मूभमेंट,भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में भंडारण क्षमता की कमी, डिपो स्तर पर अन्य समस्याओं के कारण खाद्यानों का ससमय आपूर्ति नहीं की जाती है।राज्य सरकार सभी परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने हेतु संकल्पित है। राज्य में जनवितरण प्रणाली बिक्रेताओं द्वारा अन्त्योदय,अन्नपूर्णा और बी०पी०एल० और ए०पी०एल० कार्डधारियों को समय-समय पर खाद्यान की आपूर्ति कराने हेतु लोगों को व्यापक दिशा निदेश दिये गये हैं,फूड कलेंडर भी लागू किया गया है,साथ ही माह के अंतिम सप्ताह में खाद्यान दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जिला स्तर पर प्रत्येक